

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका) के दिशानिर्देश

1. योजना

भारत सरकार ने 31.03.2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (ग्रारोसृका) को मिलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नया ऋण संबंधित सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र की योजना है , जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना का कार्यान्वयन सू.ल.म.उ. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आयोग) करेगा। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (खा.ग्रा.बोर्ड), जिला उद्योग केंद्र और बैंक करेंगे। योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी, खा.ग्रा.आयोग द्वारा चयनित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों/ उद्यमियों को उनके बैंक खाते में वितरित करने के लिए दी जाएगी। कार्यान्वयी अभिकरण अर्थात् खा.ग्रा.आयोग, खा.ग्रा. बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र योजना के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से लाभार्थियों के चयन , क्षेत्र-विशिष्ट लाभप्रद परियोजनाओं की पहचान और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों/ प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थाओं/ स्वयं सहायता समूहों/ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों/ राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संबंधित निकायों को अपने साथ संबद्ध करेंगे।

2. उद्देश्य

- i. नए स्वरोजगार उद्यमों / परियोजनाओं/ सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- ii. व्यापक रूप से दूर-दूर अवस्थित परंपरागत कारीगरों/ ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और जहां तक संभव हो , स्थानीय स्तर पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना।
- iii. देश के परंपरागत और संभावित अधिकतर कारीगरों , ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना , ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सके।

- iv. कारीगरों की पारिश्रमिक-अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

3. वित्तीय सहायता की प्रमात्रा और प्रकृति

3.1 पीएमईजीपी योजना के तहत धनराशि दो प्रमुख शीर्षों के तहत उपलब्ध होगी:

I. मार्जिन मनी सब्सिडी

- (i) नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए मार्जिन मनी के संवितरण की दिशा में वार्षिक बजट अनुमानों के तहत धन आबंटित किया जाएगा, और
- (ii) मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए बजट प्राक्कलन के तहत आबंटित धनराशि से, रु.100 करोड़ या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि मौजूदा पीएमईजीपी इकाइयों के उन्नयन हेतु मार्जिन मनी के संवितरण के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उद्दिष्ट की जाएगी ।

II. बैकवार्ड और फॉर्बर्ड लिंकेज

पीएमईजीपी के लिए एक वित्त वर्ष में बीई के तहत कुल आबंटन से 5% बैकवार्ड और फॉर्बर्ड लिंकेज के तहत धन के रूप में उद्दिष्ट किया जाएगा और जागरूकता शिविरों, प्रदर्शनियों, बैंकरों की बैठक, टीए/ डीए, प्रचार, ईडीपी, भौतिक सत्यापन, समवर्ती मूल्यांकन आदि की व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा और अन्य अवशिष्ट देनदारियों का निपटान केवीआईसी द्वारा किया जाएगा ।

3.2 पीएमईजीपी के अंतर्गत निधीयन के स्तर

- (i) नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत में)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत में)	
		शहरी	ग्रामीण
क्षेत्र (परियोजना/इकाई की अवस्थिति)			
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग /अल्पसंख्यक/महिला, पूर्व सैनिक , शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि	5%	25%	35%

टिप्पणी.(1)विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.25 लाख है ।

(2)व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.10 लाख है।

(3)कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) मौजूदा पीएमईजीपी / मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी (मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए)	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत में)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत में)
सभी वर्ग	10%	15%

(1) उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना / इकाई की अधिकतम लागत रु.1.00 करोड़ है। अधिकतम सब्सिडी रु.15 लाख (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए रु.20 लाख) होगी।

2. कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी

3. उन्नयन के लिए व्यवसाय / सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना / इकाई की अधिकतम लागत रु.25 लाख है।

4. लाभार्थी के लिए पात्रता की शर्तें

4.1 पीएमईजीपी नए उद्यमों (इकाइयों) के लिए

- I. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
- II. प्र.मं.रो.सू.का.के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहयोग हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।
- III. विनिर्माण क्षेत्र में रु.10 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रु.5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- IV. केवल पीएमईजीपी के अंतर्गत संस्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही इस योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।
- V. स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा से नीचे के समूहों सहित, बशर्ते उन्होंने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया हो) भी पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।
- VI. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएँ।
- VII. उत्पादन सहकारी समितियाँ।
- VIII. धर्मोर्थ न्यास।
- IX. मौजूदा इकाईयाँ (पीएमआयरवाई आरईजीपी के अंतर्गत या केन्द्रअ सरकार या राज्यक सरकार की अन्यत किसी योजना के अंतर्गत) और पहले से ही केन्द्र सरकार या राज्यक सरकार की किसी सरकारी योजना के तहत सब्सिडी ले चुकीं इकाइयां इसके योग्य नहीं हैं।

पीएमईजीपी (नई इकाइयों) के लिए पात्रता की अन्य शर्तें

- (i) इस योजना के अंतर्गत पूँजी -व्यय रहित परियोजनाएँ, वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं। रु.5 लाख से अधिक लागत वाली जिन परियोजनाओं में कार्यशील पूँजी अपेक्षित नहीं हो, उनके मामले में, बैंक -शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और दावों को यथास्थिति, क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय के अनुमोदन की अभिप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ज़मीन की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं करना है। बने-बनाए और पट्टे पर या किराए पर वर्कशेड / वर्कशोप लेने की लागत में शामिल की जाने वाली, बने-बनाए और पट्टे पर या किराए पर वर्कशेड लेने की लागत की गणना अधिकतम केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए ही की जाएगी।
- (iii) पीएमईजीपी सभी नए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों पर लागू होता है, जिसमें स्थानीय सरकार / प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों और दिशानिर्देशों की नकारात्मक सूची में इंगित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को छोड़कर ग्राम उद्योग परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। (दिशा निर्देशों के पैरा 30 को संदर्भित करता है)
- (iv) व्यापारिक गतिविधियाँ
 - (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और ए एंड एन द्वीपों में बिक्री के रूप में व्यावसायिक/ व्यापारिक गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है।
 - (ख) खुदरा दुकानों/ व्यापार - खादी उत्पादों, ग्राम उद्योग के उत्पादों को केवीआईसी द्वारा प्रमाणित खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों से खरीद उत्पाद और पीएमईजीपी / स्फूर्ति इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पाद पीएमईजीपी के तहत केवल देश भर में बिक्री करने की अनुमति दी जा सकती है।
 - (ग) विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित) / सेवा सुविधाओं द्वारा समर्थित खुदरा दुकानों की अनुमति दी जा सकती है (देश भर में)
 - (घ) उपर्युक्त {(क) और (ख) के रूप में व्यावसायिक / व्यापारिक गतिविधियों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत रु.10 लाख हो सकती है (सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत के बराबर)
 - (ङ) किसी राज्य में एक वर्ष में वित्तीय आवंटन का अधिकतम 10% उपरोक्त (क), (ख) या (ग) व्यवसाय/ व्यापारिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- (v) परिवहन गतिविधियाँ
परिवहन गतिविधियाँ पर्यटकों या आम जनता के परिवहन के लिए कैब / वैन / नाव / मोटर बोट / शिकारा आदि की खरीद की अनुमति होगी। परिवहन गतिविधियों के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की सीमा पर 10% की सीमा पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, एलडब्ल्यूई से प्रभावित जिलों और ए & एन द्वीपों, गोवा, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू

और कश्मीर, लक्षद्वीप या सरकार द्वारा घोषित अन्य विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में लगाई जाएगी।

टिप्पणी:

- 1) वे संस्थाएँ/उत्पादन सहकारी समितियाँ/न्यास, जो विशेष रूप से इन रूपों में पंजीकृत हो, और अ .जा./अ.ज.जा./अ.पि.व/महिला/शारीरिक विकलांग / पूर्व-सैनिक और अल्पसंख्यक संस्थाएँ, जिनके उप नियमों में इस आशय के आवश्यक प्रावधान हो , विशेष श्रेणियों के लिए मार्जिन राशि (सब्सिडी) हेतु पात्र हैं, किंतु जो संस्थाएँ/उत्पादन सहकारी समितियाँ/न्यास, विशेष श्रेणियों की संस्थाएँ /समितियाँ/न्यास के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, वे सामान्य श्रेणियों के लिए मार्जिन राशि (सब्सिडी) हेतु पात्र होंगी ।
- 2) पीएमईजीपी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक परिवार से एक ही व्यक्ति पात्र है। परिवार में स्वयं और पति/पत्नी शामिल है।

4.2 मौजूदा पीएमईजीपी/ मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए:

- (i) पीएमईजीपी के तहत दावा किया गया मार्जिन राशि सफलतापूर्वक समायोजित कर दिया गया है।
- (ii) पीएमईजीपी / मुद्रा के तहत पहला ऋण सफलतापूर्वक निर्धारित समय में चुकाया गया है।
- (iii) इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ कमा रही है और कारोबार में वृद्धि और आधुनिकीकरण / प्रौद्योगिकी के उन्नयन के साथ लाभ की संभावना है।

5. कार्यान्वयी अभिकरण

5.1 यह योजना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 के माध्यम से स्थापित एक सांविधिक निकाय है। खा.ग्रा. आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण होगा। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में यह योजना एकमात्र जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ही कार्यान्वित की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड/राज्य जिला उद्योग केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की निगरानी करेगा। खा.ग्रां. आयोग और जिला उद्योग केंद्र प्रमरोसुका के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों, राजीव गाँधी उद्यमी मित्र

योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों , पंचायती राज संस्थाओं और अन्य प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करेंगे ।

कयर बोर्ड पीएमईजीपी के तहत स्थापित करने के लिए कयर इकाइयों की पहचान करने, उनकी हैंडहोल्डिंग और मेंटरिंग में शामिल होगा।

5.2 अन्य अभिकरण

प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन में साथ लिए जानेवाले अन्य अभिकरणों का विवरण निम्नानुसार है:

- i. खादी और ग्रामोद्योग आयोग, और उसके राज्य कार्यालयों के अधिकारी।
- ii. राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
- iii. राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र के , संबंधित आयुक्तों/ सचिवों(उद्योग) को प्रतिवेदन भेजने वाले जिला उद्योग केंद्र।
- iv. बैंक/वित्तीय संस्थाएँ।
- v. खादी ग्रामोद्योग फेडरेशन।
- vi. महिला और बाल विकास विभाग , नेहरू युवा केंद्र संगठन , आर्मी वाइज्ज वेलफेयर एसोसियेशन ओफ इंडिया और पंचायती राज संस्थाएँ।
- vii. लघु कृषि और ग्रामोद्योग संवर्धन एवं तकनीकी परामर्श सेवा ग्रामीण विकास , समाज कल्याण में परियोजना परामर्श का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और विशेषता रखने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठन , जिनके पास अपेक्षित बुनियादी संरचना और राज्य या जिले में ग्राम तथा तालुका स्तर पर पहुँचने के लिए अपेक्षित मानव शक्ति हो। साथ ही , गैर-सरकारी संगठन को राज्य या राष्ट्रीय स्तर के सरकारी अभिकरण ने पिछले 3 वर्ष की अवधि में निधि उपलब्ध कराई हो।
- viii. सरकार/ विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त व्यवसायिक संस्थाएँ/ तकनीकी महाविद्यालय, जिनके पास व्यवसायिक मार्गदर्शन के लिए विभाग , या कौशल-आधारित प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम हो , जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण पॉलीटेकनिक, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान आदि।
- ix. खा.ग्रा.आयोग/ खा.ग्रा.बोर्ड से सहायता प्राप्त प्रमाणीकृत खादी ग्रामोद्योग संस्थाएँ बशर्ते वे ए+ ,ए या बी श्रेणी की हो , और उनके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ, मानवशक्ति और विशेषज्ञता हो।
- x. खा.ग्रा.आयोग/ खा.ग्रा. बोर्ड के विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र।
- xi. सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विकास संस्थान , एमएसएमई टूल रूम और तकनीकी विकास केंद्र , जो सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में हो।

- xii. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कार्यालय , तकनीकी केंद्र और सरकारी-निजी साझादारी से स्थापित इंक्यूबेट और प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केंद्र।
- xiii. सू.ल.म.उ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एन-आईईएसबीयुडी) राष्ट्रीय सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम संस्थान(एन आईएमएसएमई) और भारतीय उद्यमिता संस्थान(आईआईई) , गुवाहटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान , उनकी शाखाएँ और उनकी सहभागी संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र।
- xiv. सू.ल.म.उ मंत्रालय की राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत सुचीबद्ध उद्यमी मित्र।
- xv. प्र.मं.रो.सृ.का फेडरेशन, जब भी स्थापित हो।
- xvi. पीएमईजीपी फेडरेशन, जब भी गठित हुआ ।
- xvii. आरसेटि/ रुडसेटि

6. वित्तीय संस्थाएँ

- i. 27 सरकारी क्षेत्र के बैंक।
- ii. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- iii. प्रधान सचिव (उद्योग/आयुक्त(उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यदल समिति द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक।
- iv. प्रधान सचिव (उद्योग/आयुक्त(उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यदल समिति द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक।
- v. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

7. लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर एक कार्य दल द्वारा किया जाएगा जिसमें खा.ग्रा. आयोग/राज्य खा.ग्रा बोर्ड जिला उद्योग केंद्र और बैंकों के प्रतिनिधि होंगे। कार्य दल के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलक्टर होंगे , इस प्रक्रिया में बैंकों को आरंभ से ही शामिल करना होगा , ताकि आवेदन पत्रों के बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से बचा जा सके। लेकिन जो आवेदक उद्यमिता विकास कार्यक्रम/कौशल विकास कार्यक्रम/उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कम-से-कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वे ई डीपी प्रशिक्षण फिर से गुजरना जरूरत नहीं । ऐसे आवेदकों को भी डीएलटीएफसी द्वारा चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

गृह मंत्रालय के प्राथमिक आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 (2005 का 53) के खंड 2 (डी) के तहत परिभाषित "आपदा" से प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं / आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केवल सब्सिडी की उच्च राशि का लाभ उठाने की दृष्टि से परियोजना की लागत में अतिशयोक्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केवीआईसी से परामर्श करके आईबीए ने एक स्कोरिंग नमूना 'स्कोर कार्ड' तैयार किया जो अभी पीएमईजीपी के मामले में सदस्य बैंकों द्वारा उपयोग करते हैं। यह स्कोरिंग नमूना जिला लेवल टास्क फॉर्स तथा अन्य राज्य/जिला स्तर के अन्य अधिकारियों को प्राप्त आवेदन के मूल्यांकन के लिए प्रेषित करेगा। इसी स्कोर बोर्ड के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। स्कोर कार्ड को खा.ग्रा.आयोग और सू.ल.म.उ.मंत्रालय की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

8. बैंक वित्त

- 8.1 लाभार्थी/संस्था के सामान्य श्रेणी का होने की स्थिति में, बैंक परियोजना लागत के 90% और विशेष श्रेणी का होने की स्थिति में 95% की दर से वित्तपोषण की मंजूरी देगा, और परियोजना की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रक्रिया से पूरी राशि संवतरित करेगा।
- 8.2 बैंक पूँजी व्यय के लिए मियादी ऋण के रूप में और कार्यशील पूँजी के लिए कैश क्रेडिट के रूप में वित्त उपलब्ध कराएगा। बैंक परियोजना का वित्तपोषण सम्मिश्र ऋण के रूप में भी कर सकता है, जिसमें पूँजी व्यय और कार्यशील पूँजी-व्यय भी शामिल होंगे।
- 8.3 पीएमईजीपी के तहत अधिकतम परियोजना लागत रु.25 लाख है जिसमें पूँजीगत व्यय और कार्यशील पूँजी के लिए सावधि ऋण शामिल है। विनिर्माण इकाइयों के लिए, कार्यशील पूँजी घटक परियोजना लागत का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए और सेवा / व्यापार क्षेत्र के तहत इकाइयों के लिए , कार्यशील पूँजी परियोजना लागत का 60% से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, विनिर्माण इकाइयों के लिए, परियोजना लागत में अधिकतम पूँजीगत व्यय शामिल हो सकता है। ऐसे मामलों में, रु.25 लाख तक और इसके ऊपर काम कर रहे कैपिटल को सब्सिडी के तहत कवर नहीं किया जाएगा। यह एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म इकाइयों की परिभाषा के अनुरूप है। एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन के लिए एक बिल संसद के समक्ष है। संसद द्वारा अनुमोदित होने पर अधिनियम में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधित प्रावधानों के अनुसार पीएमईजीपी के दिशा-निर्देशों को बदल दिया जाएगा।

- 8.4** यद्यपि बैंक परियोजना रिपोर्ट में पूँजी व्यय के अनुमानों और मंजूरी के आधार पर मार्जिन राशि (सब्सिडी) का दावा करेगी किंतु केवल वास्तविक उपयोग की गई राशि पर ही अनुमन्य मार्जिन राशि ही रखी जाएगी और परियोजना के उत्पादन के लिए तैयार हो जाने के तुरंत बाद यदि कोई अतिरिक्त राशि बची होंगी, तो उसे आयोग को वापस किया जाएगा।
- 8.5** कार्यशील पूँजी घटक का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह केश-क्रेडिट की 100% सीमा को मार्जिन राशि की तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि में किसी समय प्राप्त कर ले और वह मंजूर सीमा के 75% से कम न हो , यदि उपयोग पूर्वोक्त सीमा तक नहीं होता तो बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा मार्जिन राशि (सब्सिडी) की अनुपातिक राशि वसूल की जाएगी और उसे तीसरे वर्ष की समाप्ति पर खा.ग्रा.आयोग को वापस किया जाएगा।

8.6 ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची

सामान्य दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा। संबंधित बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित आरंभिक स्थगन अवधि के बाद 3 से 7 वर्ष की चुकौती अनुसूची हो सकती है। यह देखा गया है कि बैंक किसी प्रस्ताव के गुण-दोष पर विचार किए बिना रूटीन के तौर पर ऋण गारंटी कवरेज पर जोर देते रहे हैं। इसे निरुत्साहित करने की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक , बैंकों को प्र.मं.रो.सृ.का. के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक मार्ग-निर्देश जारी करेगा। वह इस संबंध में भी उपयुक्त मार्ग-निर्देश जारी करेगा कि किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों को इस योजना के कार्यन्वयन से बाहर रखना है।

9. ग्रामीण उद्योग

- (i) कयर - आधारित परियोजनाओं (निषिद्ध सूची में उल्लिखित को छोड़कर)सहित कोई भी उद्योग जिसमें बिजली का उपयोग करते हुए या उसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन करता हो या कोई सेवा देता हो और जिसमें प्रति पूर्णकालिक कारीगर या कामगार , अचल पूँजी-निवेश समतल क्षेत्रों में रु.1.00 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में रु.1.50 लाख से अधिक नहीं हो , जिसका अर्थ है वर्कशॉप/वर्कशेड, मशीनरी और फर्नीचर पर पूँजी व्यय में परियोजना से सृजित पूर्णकालिक रोजगार में भाग देने पर प्राप्त राशि।

ए&एन द्वीपों और लक्षद्वीप के संबंध में पीएमईजीपी के तहत गतिविधियों के लिए एक विशेष मामले के रूप में प्रति कैपिटल सीलिंग को रु .1 लाख से रु.4.5 लाख तक बढ़ाया गया है ।

(ii) कयर बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी की पैटर्न पर कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) को कार्यान्वित किया जा रहा है । लेकिन सीयूवाई के तहत केवल कयर इकाइयों को स्थापित किया जाता है। पीएमईजीपी योजना के तहत, कयर इकाइयाँ भी अनुमन्य हैं। इसलिए, सीयूवाई को पूरी तरह से पीएमईजीपी में सम्मिलित किया जाएगा । उपर्युक्त पैरा 3.2 (i) में उल्लिखित पीएमईजीपी के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू 15% से 35% की मार्जिन मनी सब्सिडी दर के साथ रु.25 लाख की अधिकतम परियोजना लागत के साथ 1000 कयर इकाइयों का लक्ष्य है।

कयर बोर्ड पीएमईजीपी के तहत सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त कयर इकाइयों की पहचान करने में केवीआईसी की सहायता करेगा। केवीआईसी बोर्ड को पीएमईजीपी ई-पोर्टल की सुविधा भी प्रदान करेगा।

10. ग्रामीण क्षेत्र

- i. राज्य/संघ-शासित क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों के अनुसार, ग्राम के रूप में वर्गीकृत कोई भी क्षेत्र चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो।
- ii. इसमें शहर के रूप में वर्गीकृत वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जहाँ की आबादी 20,000 से अधिक नहीं होगी।

11. उपरोक्त योजना के अंतर्गत, आवेदन को ऑन लाइन-प्रक्रियागत करने व निधि प्रवाह की कार्य प्रणालि:-

- 11.1 जिले को आवंटित लक्ष्यांक के आधार पर , खादी और ग्रामोद्योग आयोग , खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अवधिक अंतराल व जिला स्तर पर प्रेस विज्ञापन , रेडियो व अन्य मल्टीमीडिया के मध्यम से भावी लाभार्थियों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इस योजना का विज्ञापन प्रचार प्रसार पंचायती राज संस्थान के माध्यम से भी किया जाएगा , जिससे लाभार्थियों के पहचान में सहायता मिलेगी।
- 11.2 आवेदन को अनिवार्यतः ऑनलाइन प्रस्तुत करना है । पीएमईजीपी ई-पोर्टल विकसित किया गया है और केवीआईसी द्वारा ऑपरेशन में डालने के कारण किसी भी मैनुअल आवेदन की अनुमति नहीं होगी। पीएमईजीपी के तहत नई परियोजनाओं के लिए आवेदन भर दिए जाएंगे और केवल उक्त पीएमईजीपी ई-पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 11.3 व्यक्तियों / संस्थागत आवेदकों हेतु पोर्टल पर दो अलग -अलग ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा।
- 11.4 आवेदकों को उनके आवेदन को ट्रेक करने व आवेदन की स्थिति का पता करते हेतू प्रारंभिक-पंजीकरण (आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत करते समय) के दौरान ही एक यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक को आवेदन की अंतिम प्रस्तुति पर आवेदन आईडी प्रदान किया जाएगा।

- 11.5 आवेदकों को अपना आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवेदन संस्थाओं द्वारा भरे जा रहे हैं, तो इस स्थिति में प्राधिकृत व्यक्ति को अपना आधार नंबर प्रस्तुत करना चाहिए। जहां भी उपलब्ध है, आधार अनिवार्य है। अन्य मामलों में, पैन पूछा जाएगा।
- 11.6 इसमें फोटों व दस्तावेज़ अपलोड करने का प्रावधान होगा, जो आवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन की जाँच के लिए आवश्यक होगा। इनमें निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल होंगे:
- क.जाति प्रमाण पत्र
 - ख.विशिष्ट श्रेणी प्रमाणपत्र, जहां आवश्यक हो।
 - ग.ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र
 - घ.परियोजना रिपोर्ट
 - ड.शिक्षा/ई-डीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
 - च.संस्थाओं के लिए निम्नलिखित की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति अनिवार्य है:
 1. पंजीकरण प्रमाणपत्र
 2. प्राधिकार पत्र / आवेदन करने के लिए सचिव प्राधिकृत करते उप नियमों की प्रति
 3. विशेष श्रेणी हेतु प्रमाणपत्र, जहां आवश्यक हो।
- 11.7 पोर्टल पर आवेदन को भरने व आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करने के उपरांत, आवेदक को सबमिट बटन को क्लिक करना होगा और इस प्रकार आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत हो जाएगा। सभी दस्तावेज़ों सहित इस आवेदन को खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला प्रतिनिधियाँ व संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अग्रेषित कर दिया जाएगा।
- 11.8 आवेदन प्राप्त होने के 5 दिवस के भीतर खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला उद्योग केंद्र के नोडल अधिकारी आवेदक से व्यक्तिशः मुलाकात करेंगे अथवा फोन पर बात करेंगे तथा प्रारंभिक संवीक्षा हेतु आवेदन के प्राप्ति की पुष्टि करेंगे। नोडल अधिकारी आवेदन की प्रति जाँच करने के साथ साथ आवेदक से परामर्श कर यथा-आवश्यक सुधार करेंगे तथा आवेदक को प्रत्येक चरण में अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगे। वे ऋण के अनुमोदन हेतु बैंकों द्वारा अपनायी गई कार्यप्रणाली के अनुसार ही आवेदन की जांच करेंगे। पीएमईजीपी मामलों के लिए सदस्य बैंकों द्वारा उपयोग किया जा रहा आईबीए द्वारा तैयार किया गया स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) के आधार पर, एजेंसी और डीएलटीएफसी स्तर पर लाभार्थियों के चयन किया जाएगा। ऐसे आवेदन जो 100 अंकों में से 60 से अधिक अंक प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें कारणों सहित लौटा दिया जाएगा और भविष्य में सुधार के लिए उनका स्कोर कार्ड आवेदक को भेजा जाएगा। केवल 60 अंक और उससे अधिक स्कोर करने वाले आवेदनों को डीएलटीएफसी के माध्यम से बैंकों को प्रायोजित किया जाएगा। ऐसे आवेदन जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं होंगे अथवा जो अपूर्ण व अप्रासंगिक होंगे

उन्हें आवेदक से परामर्श करने के बाद, अस्वीकृति का कारण दर्शाते हुए, संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदक, अस्वीकृति के संबंध में अपनी शिकायत राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के समक्ष दर्ज करा सकते हैं।

11.7 प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के लिए एक कार्यदल गठित किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे:

क.	जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त/ कलेक्टर	-	अध्यक्ष
ख.	पीडी-डीआरडीए/ ई.ओ.- जिला पंचायत	-	उपाध्यक्ष
ग.	अग्रणी जिला प्रबंधक	-	सदस्य
घ.	खा.ग्रा. आयोग/ खा.ग्रा. बोर्ड के प्रतिनिधि	-	सदस्य
ङ.	नेहरू युवा केंद्र/अ.जा./अ.ज.जा. निगम के प्रतिनिधि	-	विशेष आमंत्रित
च.	सू.ल.म.उ. विकास संस्था/ आईटीआई/ पोलिटेकनिक का प्रतिनिधि	-	विशेष आमंत्रित
छ.	पंचायतों के प्रतिनिधि (जिनका नामांकन अध्यक्ष/ जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त/ कलेक्टर द्वारा बारी-बारी से किया जाएगा)	-	तीन सदस्य
ज.	निदेशक आरएसईटीआई/आरयूडिएसईटीआई	-	सदस्य
झ.	जिला प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र	-	सदस्य संयोजक

जिला स्तरीय अभिकरण (केवीआईसी/ केवीआईबी/ डीआईसी) प्रारंभिक जांच के उपरांत अंतिम तौर पर सुधार किए गए आवेदनों को डीएलटीएफसी के साथ साथ वित्तीय सहायता प्रदानकर्ता बैंक को प्रेषित करेगा जिसे आवेदक द्वारा चुना गया है, और अग्रणी बैंक प्रबंधक को भी भेजेगा।

11.10 महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र(डीआईसी) डीएलटीएफसी के संयोजक होंगे और वे उसी दिन तक प्राप्त सभी आवेदन डीएलटीएफसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। डीएलटीएफसी की बैठकें प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। यदि संभव हो तो, हर माह के पहले सोमवार को (या निदेशक केवीआईसी, केवीआईबी और जीएम, डीआईसी द्वारा आपसी परामर्श के माध्यम से तय की गई दिनांकों पर) और यदि आवश्यक हो तो, डीएलटीएफसी की एक और बैठक उसी माह में आयोजित की जा सकती है। तय की गई बैठक की तारीख सभी जिलों के पीएमईजीपी वेब पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। डीएलटीएफसी की बैठकों का आयोजन कलेक्टर या उसकी अनुपस्थिति में ईओ, पीडी/ डीआरडीए या उप कलेक्टर या उनकी अनुपस्थिति में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में किया जाएगा। परियोजना निदेशक - डीआरडीए, डीएलटीएफसी के उपाध्यक्ष होंगे। समिति प्रत्येक आवेदन पर विचार करेगी और

इसकी सिफारिश ऑनलाइन करेंगी। डीएलटीएफसी का निर्णय बैठक के तीन कार्य दिवसों के भीतर जिला कार्यान्वयन अभिकरण (केवीआईसी/ केवीआईबी /डीआईसी) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जाएगा। डीएलटीएफसी बैठक के कार्यवृत्त भी केवीआईसी वेबसाइट / पीए मईजीपी ई-पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। संबंधित एजेंसी डीएलटीएफसी के निर्णय की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर संबंधित बैंक को अनुशंसित आवेदन अग्रेषित करेंगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के दिनों के भीतर 45 पूरी की जाएगी। **चयन का आधार आईबीए द्वारा तैयार किया स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) होगा और डीएलटीएफसी द्वारा विशेषतः कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा ।** तथापि, यदि आवश्यक हो तो, डीएलटीएफसी पारस्परिक विचार/ साक्षात्कार के लिए आवेदक को बुला सकती है। **यदि डीएलटीएफसी 45 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो, बैंक परियोजनाओं का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं।** अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति का कारण स्पष्ट रूप से आवेदक को सूचित किया जाना चाहिए।

- 11.11 खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुख्यालय द्वारा एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और एक शिकायत कक्ष स्थापित किया जाएगा। शिकायत कक्ष 48 घंटों के भीतर ऑनलाइन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा और संबंधित राज्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देगा। आवेदक, यदि समिति की सिफारिशों से संतुष्ट न हो, तो संबंधित राज्य के जीएम, डीआईसी या राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जो भी वरिष्ठ हो, के समक्ष अस्वीकृति के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सीईओ, केवीआईसी; सीईओ, केवीआईबी और निजी सचिव (उद्योग) संबंधित मामलों के लिए अपीलकर्ता प्राधिकरण होंगे।
- 11.12 प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर बैंक, ऋण के बारे में अपना निर्णय लेंगे। कार्यदल द्वारा पारित रु.10 लाख तक के ऋण वाली परियोजनाओं के मामले में बैंक, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसरण में संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं देंगे। तथापि, वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करने के बाद परियोजनाओं का मूल्यनिरूपण तकनीकी और आर्थिक - दोनों दृष्टियों से करेंगे:
- i. उद्योग,
 - ii. प्रतिव्यक्ति निवेश,
 - iii. अपना अंशदान,
 - iv. ग्रामीण क्षेत्र (खा.ग्रा. आयोग/खाग्रा बोर्ड/जिला उद्योग केंद्रों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मामले में), और
 - v. निषिद्ध सूची (मार्गनिर्देश का परिच्छेद 30)।

यह अनिवार्य है कि जिला कार्य दल द्वारा पारित आवेदन पत्र उसी स्तर पर इन अपेक्षाओं का पालन करें , ताकि बैंकों से ऋण का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब से बचा जा सके।

- 11.13 बैंक निर्धारित अवधि के भीतर ऋण आवेदन को मंजूरी देंगे या अस्वीकार करेंगे। स्वीकृति ऑनलाइन स्वीकृति पत्र के अधार पर जारी की जाएगी , और स्वीकृति आदेश की प्रतियां आवेदक को (ई-मेल/ हार्ड कॉपी) के साथ-साथ के वीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी को डीलटीएफसी की सिफारिश के साथ जिला एजेंसियों से आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर भेजी जाएगी। मंजूरी पत्र को स्वचालित रूप से संबंधित आरएसईटीआई को भेजा जाएगा, या जहाँ आरएसईटीआई नहीं है और यदि आवेदक ने प्रशिक्षण नहीं लिया है, ऐसे मामले में आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र को ईडीपी प्रशिक्षण के संचालन के लिए, भेजा जाएगा । बैंकों द्वारा ऋण जारी करने से पहले निर्धारित ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- 11.14 आवेदकों को ऋण की मंजूरी के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ईडीपी शुल्क के भुगतान के उपरांत , केवीआईसी के राज्य कार्यालय के परामर्श से , आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी समय ईडीपी प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर सकता है। ईडीपी को केवीआईसी द्वारा स्वयं-वित्तपोषण के आधार पर संचालित किया जाएगा।
- 11.15 ऋण की उसकी मंजूरी की सूचना प्राप्त करने के लिए , ऋण की मंजूरी की सूचना प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर , प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ईडीपी प्रमाणपत्र भी अपलोड करना और आवेदक को अपना अंशदान और ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की नकल वित्तीय सहायता प्रदाता बैंक को जमा करना होगा।
- 11.16 बैंक संपूर्ण या आंशिक रूप से ऋण की पहली किस्त जारी करेगा और नोडल बैंक/ केवीआईसी पोर्टल के ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए दावा जमा करेगा।
- 11.17 ऑनलाइन दावे फॉर्म को दो स्थितियों की पूर्ति के लिए स्वचालित रूप से जांच की जाएगी: (i)पहली किस्त जारी करने की तारीख , मार्जिन मनी सब्सिडी दावे को दाखिल करने की तारीख से पहले है , और (ii)जारी की गई पहली किस्त की राशी मार्जिन मनी सब्सिडी राशी से अधिक है। केवीआईसी सब्सिडी दावे को मान्य करेगा और 3 कार्य दिवसों के भीतर नोडल बैंक पोर्टल पर अपलोड करेगा।

- 11.18 नोडल बैंक , वैधता प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर संबंधित वित्तपोषण बैंक की शाखा में केवीआईसी द्वारा मान्य मार्जिन मनी सब्सिडी दावे की राशि को अंतरण करेगा। यदि वित्तपोषण बैंक शाखा यह प्रमाणित करती है कि दावे में प्रस्तुत सभी तथ्य सही हैं और इकाई की उपरोक्त गतिविधि पीएमईजीपी योजना की निषिद्ध सूची में नहीं है और पीएमईजीपी के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार है , तो केवीआईसी द्वारा सत्यापन के साथ भेज दिया जा सकता है और मार्जिन मनी की दावे को सीधे वित्त बैंक शाखाओं द्वारा ऑनलाइन पर संवितरण के लिए कॉर्पोरेशन बैंक पोर्टल पर भेजा जाएगा।
- 11.19 एक बार मार्जिन मनी(सब्सिडी) ऋणदाता के पक्ष में बैंक में प्राप्त हो जाने के उपरांत , 24 घंटों के भीतर , लाभार्थी\संस्थान के नाम पर बैंक की शाखा स्तर पर तीन वर्षों की सावधि जमा रसीद (टीडीआर) के रूप में रखा जाना चाहिए। टीडीआर पर किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा और टीडीआर के समरूप राशि के लिए संवितरित ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
- 11.20 उपरोक्त प्रत्येक चरण में सिस्टम द्वारा या संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वचालित रूप से आवेदक को एसएमएस/ई-मेल अलर्ट भेजने के प्रयास किए जाएंगे।
- 11.21 यदि तीन साल की अवधि के पहले बैंक की अग्रिम “अशोध्य” हो जाती है, किसी कारणों के चलते , जो लाभार्थी के नियंत्रण से परे हो , तो मार्जिन मनी (सब्सिडी) को केवीआईसी को ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। यदि बैंक द्वारा किसी भी स्रोत से किसी भी वसूली का संचालन तदोपरांत किया जाता है , तो इस तरह की वसूली को बैंक द्वारा उनके बकाया देय राशि को समाप्त करने के उपयोग में लाया जाएगा।
- 11.22 **मार्जिन राशि(सब्सिडी) सरकार से एकबारगी सहायता होगी।** इस योजना के तहत दूसरे ऋण के माध्यम से उन्नयन के लिए चयनित इकाइयों के मामले को छोड़कर ऋण सीमा में वृद्धि या परियोजना के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन राशि(सब्सिडी) सहायता उपलब्ध नहीं हैं।
- 11.23 संयुक्त रूप से यानी दो विभिन्न स्रोतों (बैंकों/वित्तीय संस्थाओं) से वित्तपोषित परियोजनाएँ मार्जिन राशि (सब्सिडी) सहायता के लिए पात्र नहीं है।
- 11.24 बैंक वित्त जारी करने से पहले बैंक को लाभार्थी से इस आशय का वचनपत्र लेना होगा कि खा.ग्रा. आयोग/ खा.ग्रा. बोर्ड/ राज्य के जिला उद्योग केंद्र द्वारा आपत्ति किए जाने की स्थिति में (जिसे अभिलिखित और लिखित रूप में संप्रेषित किया जाएगा) लाभार्थी टीडीआर में रखी

गई या तीन वर्ष की अवधि के बाद जारी की गई मार्जिन राशी (सब्सिडी) को वापस लौटा देगा।

- 11.25 बैंक/ खा.गा. आयोग/ खा.गा. बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी अपने परियोजना -स्थल के मुख्य प्रवेश द्वारा पर यह साइन बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा:-

<p>..... (इकाई का नाम)</p> <p>वित्तपोषक (बैंक), जिले का नाम</p> <p>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित</p> <p>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय</p>
--

- 11.26 पीएमईजीपी पोर्टल को पीएमईजीपी लाभार्थी द्वारा ऋण के पुनःभुगतान को ग्रहण कर सकने के लिए सक्षम होना चाहिए। संबंधित अभिकरणों के नोडल कार्यालय अर्थात केवीआईसी/ केवीआईबी/ डीआईसी भी अपनी स्थिति जांचने और आवश्यक मार्गदर्शन/ सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु प्रत्येक 6 महीनों में कम से कम एक बार इकाइयों का दौरा करेगा। पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल भी संबंधित अधिकारी द्वारा इस तरह के दौरे के विवरण को ग्रहण करने में सक्षम होना चाहिए। पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा किए गए यूनिट के भौतिक सत्यापन के विवरण और साथ ही लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी एडजस्टमेंट के वितरण को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

- 11.27 पोर्टल में एमआईएस होना चाहिए जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि वित्त वर्ष के माध्यम से स्वीकृत ऋण और संवितरण के बीच कोई ओवरलैप नहीं है और यह श्रेणीवार, ग्रामीण, शहरी, बैंक वार, जिलावार, राज्यवार, वर्षवार, उद्योग क्षेत्र इत्यादि सहित परियोजना के आकार के अनुसार विभिन्न रिपोर्टों के सृजन को सक्षम बनाता हो।

11.28 मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए सब्सिडी (नया प्रावधान)

- क. पीएमईजीपी/ मुद्रा के तहत स्थापित मौजूदा इकाई के विस्तार / उन्नयन के लिए सभी श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा 15% तक की वित्तीय सहायता का एक अतिरिक्त घटक जोड़ा गया है , जिसमें पीएमईजीपी / मुद्रा के तहत पहले से ही स्थापित की गई इकाइयां और टर्नओवर, लाभ कमाने और ऋण चुकौती के संदर्भ में बहुत अच्छा

- प्रदर्शन करते हुए आगे प्रदान करने के लिए चुना जाएगा। सेवा / ट्रेडिंग इकाइयों के लिए, वित्तीय सहायता केवल रु.25 लाख तक होगी।
- ख. उन्नयन के लिए इकाइयों को पूरे देश में समान रूप से चयनित किया जाएगा, जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक विकास, पारंपरिक कौशल / कच्चे माल की उपलब्धता आदि के आधार पर प्रत्येक जिले से लगभग 10 इकाईओं को मौजूदा इकाइयों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा किया जाएगा। (एसएलबीसी)।
- ग. केवीआईसी पीएमईजीपी ई-पोर्टल में प्रासंगिक प्रावधान करेगा और साथ ही आवेदन के लिए मौजूदा इकाइयों द्वारा आवेदन जमा करने के लिए सरलीकृत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत करेगा।
- घ. जिला स्तर की एजेंसियां (केवीआईसी / केवीआईबी/ डीआईसी) प्रारंभिक जांच के बाद अनुप्रयोगों को एसएलबीसी को अग्रेषित करेंगी जो परियोजना को आर्थिक और तकनीकी रूप से दोनों के लिए अनुमोदित करेगी और दूसरे ऋण के लिए बैंकों को वित्तपोषण करने के लिए परियोजना की सिफारिश करेगी। वित्तपोषण बैंक पीएमईजीपी इकाइयों के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मार्जिन मनी सब्सिडी का दावा करेंगे। मार्जिन मनी सब्सिडी को तीन साल के लिए टीडीआर के रूप में रखा जाएगा। टीडीआर पर किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा और टीडीआर के समरूप राशि के लिए संवितरित ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
- ङ. कार्यान्वयन एजेंसी और बैंक द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर मशीनरी की स्थापना के बाद टीडीआर को ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा।

12.1 बजट परिव्यय और लक्ष्य

रु.5500.00 करोड़ के परिव्यय को 20 लाख रोजगार (8 व्यक्ति प्रति परियोजना) के निर्माण के साथ 2.5 लाख परियोजनाएं स्थापित करने के लिए तीन वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20) के लिए पीएमईजीपी के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 इकाइयां उन्नयन की जाएंगी।

12.2 अनुमानित वर्षवार आउटपुट / डिलिवरेबल्स

घटक का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये)			पैरामीटर	अनुमानित भौतिक परिणाम (संख्या लाखों में)		
	2017-18	2018-19	2019-20		2017-18	2018-19	2019-20
क. सब्सिडी / मार्जिन मनी (मा.म.)	1004.49 (बीई) 1170.00 (आरई)	1905.00	2020.00	i)स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	58,500	95,250	1,01,000

				रोजगार उत्पन्न करना (लाखों व्यक्तियों में)	4.68	7.62	8.08
ख. मौजूदा इकाइयों का उन्नयन	100.00#	100.00#	उन्नयन की गई इकाइयों की संख्या	1000	1000	1000
ग. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज (बी&एफएल)	20.00 (बीई) 25.00 (बीई)	80.00	100.00	जागरूकता शिविर, प्रदर्शनियां, बैंकर्स बैठक और प्रचार, ईडीपी, भौतिक सत्यापन, समवर्ती मूल्यांकन आदि			
कुल	1195.00	2085.00	2220.00	# प्रारंभिक कार्य निष्पादन के आधार पर संशोधित किया जाएगा			
		5500.00					

13. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

13.1 उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताएँ, एकाउंटिंग जैसी विभिन्न प्रबंधकीय और कार्यपूरक कुशलताओं की जानकारी प्रदान करना है। ग्रारोसूका के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम की अवधि केवल 03 दिनों की थी। प्रमंरोसूका, योजना के अंतर्गत यह अवधि 10 दिनों की थी। विभिन्न बैठकों, परिचर्चाओं और उद्योग पर विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों में यह महसूस किया गया कि ये सब जानकारियों प्रभावी रूप से देने के लिए 3 दिनों की अवधि पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रमंरोसूका के अंतर्गत इसे दो से तीन सप्ताह तक का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें सफल ग्रामीण उद्यमियों और बैंकों के साथ परस्पर संवाद के साथ-साथ उनका दौरा भी शामिल है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों के प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार राष्ट्रीय लघु, उद्योग निगम, तीन राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों अर्थात् नौसबड, निम्समे और आईआईई तथा सूलमउ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले उनके सहभागी संस्थानों, बैंकों, ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों (रूडसेटी), प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा समय-समय पर चूने गए संगठनों/संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। प्रमंरोसूका के सभी लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। तथापि, जो लाभार्थी खाग्रा आयोग/ खाग्रा बोर्ड या प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम दो सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण ले चुके होंगे, उन्हें इस प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों/ संस्थानों का चयन खाग्रा आयोग और खाग्रा बोर्डों द्वारा किया जाएगा और प्रशिक्षण केंद्रों/ संस्थानों, उपलब्ध पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु अवधि आदि का विवरण कार्यन्वयी अभिकरणों में परिचालित कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

13.2. प्रशिक्षण केंद्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रभारों हेतु बजट

योजना के अंतर्गत पठन-सामग्री , अतिथि वक्ताओं को मानदेय , खाने रहने के खर्च आदि के लिए प्रति प्रशिक्षु दो से तीन सप्ताह के लिए रु.2500 से रु.4000 तक की राशि स्वीकार्य होगी। खाद्या आयोग इस प्रयोजन के लिए चूने गए प्रशिक्षण केंद्रों/ संस्थानों को, इसके लिए अलग से तैयार की जाने वाली और खाद्या बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के बीच परिचालित की जाने वाली कार्यविधि के अनुसार व्ययों के प्रतिपूर्ति करेगा।

14. प्रमंरोसृका इकाइयों का भौतिक सत्यापन

खाद्या बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा स्थापित इकाइयों सहित प्रमंरोसृका के अंतर्गत प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना और कामकाज की स्थिति का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन , खाद्या आयोग द्वारा राज्य सरकार के अभिकरणों और /या आवश्यकतानुसार , इस क्षेत्र की विशेष जानकारी रखने वाले बाहरी व्यावसायिक संस्थानों को यह कार्य सौंप कर भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावलि के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कराया जाएगा। बैंक , खाद्या बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र 100% भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने में खाद्या आयोग के साथ समन्वय करेंगे और उसे सहयोग देंगे। इकाइयों के भौतिक सत्यापन के लिए खाद्या आयोग एक उपयुक्त प्रोफार्मा तैयार करेगा। खाद्या आयोग निर्धारित फार्मेट से सूलमउ मंत्रालय को तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

भौतिक सत्यापन प्रक्रिया इकाई स्थापना के दो साल की बाद शुरू होनी चाहिए। राज्य कार्यालय प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए दो-तीन एजेंसियों को सौंप सकता है ताकि तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के पूरा होने पर मार्जिन मनी समायोजन किया जाए।

15 जागरूकता शिविर

15.1 प्रमंरोसृका को लोकप्रिय बनाने और ग्रामीण , अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के संभावित लाभार्थियों को योजना के बारे में शिक्षित करने के लिए खाद्या आयोग और जिला उद्योग केंद्र , एक-दूसरे के साथ और खाद्या बोर्ड के निकट समन्वय से देश भर में जागरूकता शिविरों का आयोजन करेंगे। जागरूकता शिविरों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को , विशेष श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, शारीरिक विकलांग, पूर्व सैनिक , अल्पसंख्यक वर्ग , महिला आदि और ट्रांसजेंडर के सदस्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए शामिल किया जाएगा। खाद्या आयोग/ खाद्या बोर्डों / जिला उद्योग केंद्रों द्वारा राज्य स्तरीय संगठनों , जैसे अजा/अजजा निगमों, आर्मी वाईव्ज़ वेलफेयर एसोसियेशन, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और रोजगार कार्यालय से

अपेक्षित सूचना/ब्योरे प्राप्त किए जाएँगे। प्रत्येक जिले में ऐसे दो शिविरों के आयोजन की अनुमति होगी , जिनमें से एक खाद्या आयोग द्वारा संबंधित खाद्या बोर्ड के समन्वय से और दूसरा जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित किया जाएगा। खाद्या आयोग और जिला उद्योग केंद्र को अधिमानतः किसी विशेष जिले में इन शिविरों को संयुक्त रूप से आयोजित करने पर विचार करना चाहिए। एक समिति , जिसमें अग्रणी बैंक, खाद्या आयोग, खाद्या बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि और बहु-उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य होंगे , लाभार्थियों का चयन करेगी और उन्हें उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। उन्हें परियोजना तैयार करने के लिए आरआईसीएस के पास और परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों के पास भी भेजा जाएगा। निर्दिष्ट राशि , शिविरों के आयोजन के प्रचार- प्रसार व्यवस्था और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए होगी जिनके बारे में खाद्या आयोग अलग से मार्गनिर्देश जारी करेगा।

15.2 जागरूकता शिविरों में की जाने वाली अनिवार्य गतिविधियाँ

- i. बैनरों, पोस्टरों, होर्डिंगों और स्थानीय अखबारों में प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार।
- ii. खाद्या आयोग, खाद्या बोर्ड/ जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण।
- iii. क्षेत्र के अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुतीकरण।
- iv. प्रमंरोसृक/ग्रारोसृका के सफल उद्यमियों द्वारा प्रस्तुतीकरण।
- v. जिन प्रमंरोसृका उद्यमियों की परियोजनाएँ मंजूर हुई हैं , उन्हें मंजूरी पत्र का वितरण।
- vi. प्रेस सम्मेलन।
- vii. संभावित लाभार्थियों से (निर्धारित फार्मेट में) आँकड़ों का संग्रह जिनमें लाभार्थी के प्रोफाइल उसके कौशल, उसकी पृष्ठभूमि और योग्यता, अनुभव, रुचि की परियोजना, आदि का विवरण होगा। प्रशिक्षण (जैसा कि मार्गनिर्देश के परिच्छेद 12 में उल्लिखित है) के लिए एक समिति, जिसमें अग्रणी बैंक, खाद्या आयोग, खाद्या बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि और बहु-उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य होंगे , लाभार्थियों का चयन करेगी और उन्हें उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। उन्हें परियोजना तैयार करने के लिए आरआईसीएस के पास और परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों के पास भी भेजा जाएगा।
- viii. प्रमंरोसृका के अंतर्गत विचारार्थ खाद्या आयोग द्वारा तैयार की गई कुछ परियोजनाओं का एक **संग्रह आयोग** मंत्रालय द्वारा कुछ प्रमुख राज्यों के उद्योग सचिवों और भारतीय स्टेट बैंक , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया , केनरा बैंक , इलाहाबाद बैंक , यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित कुछ प्रमुख बैंकों को भेजा गया है। इस

संग्रह में कुछ और परियोजनाओं को शामिल करने के लिए खाद्या बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र परियोजनाओं के विवरण आयोग को प्रेषित करेंगे। आयोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के लिए किए गए प्रावधानों का उपयोग करते हुए बैंकों, खाद्या बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के परामर्श से यथासमय उन्हें संग्रह में शामिल करेगा।

ix. विपणन सहायता

(क) जहाँ तक संभव होगा, खा.ग्रा.आयोग के बिक्री केंद्रों के माध्यम से प्रमंरोसृका के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के उत्पादों को विपणन सहायता दी जाएगी। खाद्या आयोग के पास, गुणवत्ता, कीमत निर्धारण और अन्य मानदंडों के आधार पर, जिन्हें खाद्या बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों को आयोग द्वारा अलग से परिपत्रित किया जाएगा, ऐसी सहायता देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(ख) इसके अलावा खाद्या आयोग द्वारा प्रमंरोसृ कार्यक्रम के लाभार्थियों के फायदे के लिए जिला/राज्य, अंचल/राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शिनियों, कार्यशालाओं का आयोजन और क्रेता-बिक्रेता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

16. कार्यशालाएँ

क) उद्देश्य

- i. प्रमंरोसृका और खा.ग्रा. आयोग के अन्य कार्यक्रमों जैसे प्रोडिप, स्फूर्ति आदि के लाभों के बारे में संभावित लाभार्थियों को जानकारी देना।
- ii. प्रमंरोसृका इकाइयों का एक डाटा बैंक तैयार करना, जिसमें तैयार किए जाने वाले उत्पादों सेवा/व्यवसाय कार्य के वितरण, आपूर्ति क्षमता, वर्तमान विपणन ढाँचे, रोजगार, परियोजना लागत आदि से संबंधित विवरण होंगे।
- iii. प्रमंरोसृका के उद्यमियों से संवाद स्थापित करना ताकि उनसे इकाइयों, उनकी समस्याओं, अपेक्षित सहायता, सफलता के दृष्टांतों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।
- iv. प्रमंरोसृका इकाइयों के सहयोग के लिए विपणन और निर्यात क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करना।

टिप्पणी

- i. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यशाला में कम से कम 200 संभावित उद्यमी भाग लें।

- ii. खाद्या आयोग के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला और जिला उद्योग केंद्र के लिए एक कार्यशाला की अनुमति है।
- iii. किसी निर्दिष्ट राज्य में खाद्या आयोग और जिला उद्योग केंद्र संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन करने पर विचार कर सकते हैं।
- iv. प्रत्येक कार्यशाला में खाद्या आयोग और जिला उद्योग केंद्र का एक एक प्रतिनिधि भाग लेगा।

ख) राज्य स्तरीय कार्यशाला में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल की जानी चाहिए:

- i. राज्य में प्रमंरोसृका के परिदृश्य की प्रस्तुति।
- ii. राज्य के अग्रणी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमंरोसृका के बारे में बैंकों के मंतव्य पर प्रस्तुति।
- iii. विशेष श्रेणी के उद्यमियों पर विशेष बल देते हुए प्रमंरोसृका/ गारोसृका के उद्यमियों के अनुभवों और सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान।
- iv. खाद्या आयोग की अन्य समर्थनकारी योजनाओं जैसे उत्पाद विकास , डिज़ाइन सहयोग और पैकेजिंग (प्रोडिप) , ग्रामीण औद्योगिक सेवा केंद्र(आरआईएससी) परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) , सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी), प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए ऋण-सहबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) , सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएसएमई) आदि के बारे में संक्षेप में जानकारी देना।
- v. नाबार्ड और सिडबी द्वारा क्लस्टर और विपणन से जुड़ी सहायता योजनाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी देना।
- vi. प्रमंरोसृका में ग्रामीण युवाओं, कमजोर तबकों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पूर्व सैनिकों , शारीरिक विकलांगों , युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को शामिल करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन , महिला और बाल विकास मंत्रालय , आर्मी वाइल्ड वेलफेयर एसोसियेशन की सेवाओं का उपयोग करना।
- vii. विपणन विशेषज्ञों द्वारा घरेलू और निर्यात बाज़ार संभावनाओं पर प्रस्तुति।
- viii. प्रमंरोसृका उद्यमियों के साथ कार्यान्वयन से जुड़े मामले, सामने आ रही कठिनाइयों, आगे अपेक्षित सहयोगों आदि पर खुली परिचर्चा और संभव समाधानों पर पहुँचना।
- ix. निर्धारित फार्मेट में प्रमंरोसृका उद्यमियों से संबंधित आँकड़ों का संकलन।
- x. प्रमंरोसृका उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री की व्यवस्था।
- xi. प्रमंरोसृका संघ का गठन ।
- xii. प्रेस सम्मेलन

- ग) खाद्या आयोग इन कार्यशालाओं का समन्वय करेगा और कार्यशालाओं के वार्षिक कैलेण्डर को मंत्रालय से पहले ही अनुमोदित करा लेगा।

17 प्रदर्शनियाँ

प्रमंरोसृका के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खाद्या आयोग द्वारा राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरों पर प्रमंरोसृका प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, और पूर्वोत्तर अंचल के लिए विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन खाद्या बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से किया जाएगा। खाद्या आयोग देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों का वार्षिक कैलेण्डर मंत्रालय से पहले ही अनुमोदित करा लेगा। खाद्या बोर्डों/ जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्थापित इकाइयों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अलग पैविलियन उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्या आयोग /खाद्या बोर्डों/ जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ग्रामीण और शहरी उद्यमियों के लिए अलग-अलग लोगों और नाम रखा जाएगा, जैसे ग्रामएक्स्पो, ग्राम उत्सव, ग्राम मेला आदि। खाद्या आयोग प्रति वर्ष खाद्या बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से एक जिला स्तरीय (प्रत्येक जिले में) एक राज्य स्तरीय और एक अंचल स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करेगा।

18 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता

निर्यात बाजार विकसित करने की दृष्टि से ऐसी परिकल्पना है कि प्रमंरोसृका इकाइयाँ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता करेंगी। खा.ग्रा.बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से खा.ग्रा. आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता का आयोजन करेगा और खा.ग्रा. बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों से इच्छुक इकाइयों की सूची मँगवाएगा। खाद्या आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि खा.ग्रा. बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्थापित इच्छुक इकाइयों पर उत्पादों की उत्कृष्टता, विविधता और गुणवत्ता के आधार पर न्यायपूर्ण विचार किया जाए। पैविलियन के किराये, स्टाल लगाने और उत्पादों को प्रदर्शित करने आदि पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रु.20 लाख तक की जाएगी। खा.ग्रा. आयोग शेष व्यय अपने नियमित विपणन बजट प्रावधानों से कर सकता है।

19 बैंकर समीक्षा बैठक

प्रमंरोसृका एक बैंक-संचालित योजना है और संबंधित बैंक के स्तर पर ही परियोजनाओं की मंजूरी और ऋण का संवितरण किया जाता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि खाद्या आयोग, खाद्या बोर्डों और जिला उद्योग केंद्र नियमित रूप से जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर, उच्चतर बैंक अधिकारियों से चर्चा करते रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि कार्यान्वयन में कोई बाधा हो तो, उसे दूर किया जाए, प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जाएँ, लक्ष्य प्राप्त किए जाएँ। बैंकर समीक्षा बैठकें निम्नलिखित स्तरों पर निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी:

- i. **अग्रणी जिला प्रबंधक बैठक (एलडीएम):** इस बैठक का आयोजन खाद्या आयोग के राज्य कार्यालय , और प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा खाद्या बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अग्रणी जिला प्रबंधक स्तर पर बैंक अधिकारियों को प्रमंरोसृ कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना और शिक्षित करना और साथ ही योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा करना होगा। यह बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।
- ii. **आंचलिक समीक्षा बैठक:** प्रमंरोसृका की समीक्षा और निगरानी के लिए खाद्या आयोग 6 अंचलों में आंचलिक समीक्षा बैठक करेगा । जिनमें खाद्या आयोग , खाद्या बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों के प्रतिनिधि समीक्षा में भाग लेंगे । संबंधित बैंक अधिकारी भी आमंत्रित किए जाएँगे ।
- iii. **शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठक:** खाद्या आयोग प्रत्येक छमाही में (जून और दिसंबर में) शीर्ष स्तरीय बैंकर बैठक आयोजित करेगा ताकि वित्तिय वर्ष के आरंभ में और अंत होने के थोड़ा पहले समुचित निगरानी की जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/ वरिष्ठ कार्यपालक , सूलमउ मंत्रालय , राज्य खाद्या बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों के प्रतिनिधि राष्ट्र स्तरीय बैंकर बैठक में भाग लेंगे जिसकी अध्यक्षता खाद्या आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। दो समूहों में सभी राज्य और संघशासित क्षेत्र आमंत्रित क्षेत्र आमंत्रित किए जाएँगे और खाद्या आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इन छमाही समीक्षा बैठकों में से प्रत्येक में लगभग आधे राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के खाद्या बोर्ड और जिला उद्योग केन्द्रों के प्रतिनिधि सहभागी हों। बैठक में लक्ष्यों की समीक्षा और प्रमंरोसृका के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से संबंधित नीतिगत निर्णयों से जुड़े मामलों की जाँच की जाएगी।

20. प्रमंरोसृका के अंतर्गत उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण

खाद्या आयोग , खाद्या बोर्ड , जिला उद्योग केंद्र और संबंधित अभिकरणों के स्टाफ और अधिकारियों को कार्यक्रम के परिचालनात्मक तौर-तरीकों की जानकारी देनी होगी , जिसे खाद्या बोर्ड के साथ मिलकर खाद्या आयोग द्वारा , और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा देश भर में राज्य/जिला स्तर पर एक-दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन कर किया जा सकता है। खाद्या आयोग और जिला उद्योग केंद्र, जहाँ भी संभव हो , संयुक्त रूप से ये कार्यशालाएँ आयोजित कर सकते हैं, जिसके बारे में खाद्या आयोग द्वारा अलग से मार्गनिर्देश जारी किए जाएँगे।

21. स्टाफ और अधिकारियों की यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता

खाद्या आयोग, खाद्या बोर्ड, और जिला उद्योग केंद्र प्रमंरोसृका से संबंधित कार्यों के लिए अपेक्षित दौरे और निगरानी कार्य करेंगे। प्रमंरोसृका की निगरानी और समीक्षा हेतु स्टाफ और अधिकारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए प्रतिवर्ष रु.1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है , जिसमें लेखन सामग्री ,

प्रलेखीकरण, आकस्मिक व्यय जैसे प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। इस राशि का लगभग 40% भाग जिला उद्योग केंद्रों के लिए चिह्नित किया जा सकता है इस सहायता के दृष्टतम उपयोग और किफायतसारी के लिए खाद्या आयोग अलग से मार्गनिर्देश जारी करेगा , जिसमें व्यय के प्रमाणन के तौर-तरीकों , और फील्ड दौरो से संबंधित मानदंडों का समावेश होगा।

22. प्रचार और संवर्धन गतिविधियां

22.1 प्रमंरोसृका को लोकप्रिय बनाने के लिए पोस्टरों , बैनरों, होर्डिंगों, रेडियो जिंगल, टेलीविज़न संदेशों, स्थानीय अखबारों में विज्ञापनों , प्रेस सम्मेलनों आदि के जरिए जोर-शोर से प्रचार-अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रमंरोसृका से संबंधित प्रमुख आयोजनों के अवसर पर अति महत्वपूर्ण और गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

22.2 प्रमंरोसृका के लिए विज्ञापन जारी करना/ प्रचार करना

प्रमंरोसृका के लिए विज्ञापन अंग्रेजी , हिंदी और स्थानीय भाषा के अखबारों में जारी/ प्रकाशित किए जाएंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए चौथाई पृष्ठ के और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए आधे पृष्ठ के विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

प्रमंरोसृका के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार और संवर्धनात्मक गतिविधियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त राशि आवंटित की जाएगी । खाद्या आयोग द्वारा निधियों की 25% राशि जिला उद्योग केंद्रों के लिए विहित की जाएगी जो खाद्या आयोग द्वारा खाद्या बोर्डों और जिला उद्योग के साथ अधिकतम समलनय और सहक्रियता सुनिश्चित करते हुए तैयार किए गए मार्गनिर्देश के अनुरूप विज्ञापन/प्रचार-प्रसार के लिए होगी।

23. एमआईएस पैकेज, आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली, ई-पोर्टल और अन्य सहायक पैकेज

23.1. योजना की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए ई-गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विद्यमान ग्रासृका और प्रमंरोयो लाभार्थियों के डाटा बैंक का प्रलेखीकरण भी आवश्यक है। खाद्या आयोग एक अलग प्रमंरोसृका वेबसाइट तैयार करेगा जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी देते हुए सूलमउ मंत्रालय, राज्य खाद्या बोर्ड जिला उद्योग केंद्रों , एनआईसी और बैंकों के साथ संगत लिंकेज शामिल किए जाएंगे। प्रमंरोसृका लाभार्थियों के लिए खाद्या आयोग द्वारा आवेदनपत्र ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना , खाद्या बोर्डों/ जिला उद्योग केंद्रों के समन्वय से की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिक परामर्श सेवा के खाद्या आयोग की परियोजना निर्माण सॉफ्टवेयर पैकेज को देश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे संभावित लाभार्थियों को

प्रमंरोसूका के अंतर्गत परियोजनाएँ तैयार करने में सहयोग दे सकें। इस प्रयोजन से खाग्रा आयोग के उपयोग के लिए फॉरवर्ड - बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत अलग से प्रावधान उपलब्ध है।

23.2 खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों से समुचित प्रलेखीकरण के माध्यम से खाग्रा आयोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में आगे मार्गनिर्देश जारी करेगा। इस संबंध में खर्च का उचित लेखा-जोखा खाग्रा बोर्डों / जिला उद्योग केंद्रों द्वारा रखा जाएगा तथा खाग्रा आयोग द्वारा उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

24.1 प्रमंरोसूका के अंतर्गत प्रस्तावित अनुमानित लक्ष्य

1. ₹ .5500.00 करोड़ के परिव्यय को 20 लाख रोजगार (8 व्यक्ति प्रति परियोजना) के निर्माण के साथ 2.5 लाख परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए तीन वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20) के लिए पी एमईजीपी के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा , प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 इकाइयां उन्नयन की जाएंगी।
2. संप्रति खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा 30:30:40 के अनुपात में इस योजना का कार्यान्वयन करते हैं। यद्यपि, पीएमईजीपी ऑन-लाइन पोर्टल मौजूद होने से, आवेदनों को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए, 30:30:40 अनुपात की कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रथम प्रवेश-प्रथम निर्गम की अवधारणा में प्राप्त आवेदनों को 30:30:40 के अनुपात में विचार करेंगे ।
3. कार्यान्वयी अभिकरणों को राज्यवार वार्षिक लक्ष्य आबंटित किए जाएँगे।

24.2 प्रमंरोसूका के अंतर्गत लक्ष्यों के वितरण के मानदंड

लक्ष्यों के राज्यवार वितरण के सुझाए गए मानदंड मोटे तौर पर निम्नानुसार हैं:

- i. राज्य के पिछड़ेपन का स्तर
- ii. बेरोजगारी का स्तर
- iii. पिछले वर्षों के लक्ष्य प्राप्त करने का स्तर
- iv. राज्य/ संघशासित क्षेत्र की जनसंख्या और
- v. परंपरागत कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता
- vi. नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

24.3 खाग्रा आयोग राज्य खाग्रा आयोग निदेशालयों/ खाग्रा बोर्डों और राज्य सरकारों को लक्ष्य सौंपेगा। जिला स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति लक्ष्य तय करेगी।

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में लक्ष्यों का समान वितरण हो। खाद्या आयोग द्वारा खाद्या आयोग/खाद्या बोर्डों को दिए गए राज्यवार लक्ष्यों से राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति को अवगत कराया जाएगा जहाँ जिलावार लक्ष्यों के समग्र आबंटन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लक्ष्यों में कोई संशोधन , जिसके लिए खाद्या आयोग प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगा , मंत्रालय की सहमति से ही किया जा सकेगा। खाद्या आयोग निदेशालयों/ खाद्या बोर्डों को सब्सिडी और अन्य मानदंडों (इकाइयों की संख्या, रोजगार के अवसर आदि) के अधीन लक्ष्य सौंपनों के लिए खाद्या आयोग , नीचे दिए गए भारांकों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित हेतु राज्य की ग्रामीण आबादी , राज्य के पिछड़ेपन (योजना आयोग द्वारा पहचाने गए 250 पिछड़े जिलों के आधार पर) और ग्रारोसृका के अंतर्गत राज्य के पूर्व कार्यनिष्पादन को मानदंड बनाएगा। इसी प्रकार जिला उद्योग केंद्रों को लक्ष्य सौंपने के लिए खाद्या आयोग राज्य के पिछड़ेपन (योजना आयोग द्वारा पहचाने गए 250 पिछड़े जिलों के आधार पर) शहरी बेरोजगारी के स्तर (प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार- अवसर को लक्ष्य बनाने पर विशेष समूह से संबंधित योजना आयोग की 2002 के प्रतिवेदन में यथानिर्दिष्ट) , और राज्य की ग्रामीण आबादी के मानदंड अपनाएगा। पिछले वर्ष के प्रमंरोसृका कार्यनिष्पादन को भी लक्ष्य निर्धारण हेतु समुचित महत्व दिया जाएगा। कार्यान्वयी अभिकरणों के लिए लक्ष्य निर्धारण हेतु मोटे तौर पर जो भारांक दिए जाएँगे, वे निम्नानुसार हैं-

मानदंड	लक्ष्य निर्धारण हेतु भारांक	
	खा.ग्रा.आयोग/बोर्ड	जिला उद्योग केंद्र
1.राज्य की ग्रामीण आबादी	40%	30%
2.राज्य का पिछड़ापन	30%	40%
3.शहरी बेरोजगारी का स्तर	-	30%
4.आरईजीपी का पूर्व कार्य-निष्पादन	30%	-

25. बीमार इकाइयों का पुनर्वास

प्रमंरोसृका के अंतर्गत बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बीमार लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी दिनांक 16 जनवरी 2002 के उनके पत्र आरपीसीडी सं.पीएलएनएफएस. बीसी. 57/ 06.04.01/ 2001-02 को आधार बनाया जाएगा।

26. पंजीकरण

(क) योजना के अंतर्गत , खाद्या आयोग /खाद्या बोर्ड/राज्य जिला उद्योग केंद्र के साथ पंजीकरण स्वैच्छिक है। लाभार्थियों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा और बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग प्रलेखीकरण लागत आदि के व्यय को पूरा करने में किया जाएगा।

लाभार्थी उत्पादन, बिक्री, रोजगार, भुगतान की मजदूरी आदि के बारे में खाद्या आयोग/ खाद्या बोर्ड/राज्य जिला उद्योग केंद्र को तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और

खाग्रा आयोग उनका विश्लेषण करेगा और प्रत्येक छमाही में एक समेकित प्रतिवेदन सूलमउ मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

(ख) **इकाइयों की जियो-टैगिंग:** पहले से ही स्थापित और पीएमईजीपी के तहत स्थापित किए जाने वाले सभी सूक्ष्म उद्यम जियो-टैग किए जाएंगे जो इकाइयों के साथ संपर्क बनाए रखने की सुविधा प्रदान करेंगे।

27 प्रमंरोसूका के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र के बैंकों (अनुसूचित ,वाणिज्यिक/ सहकारी) की भूमिका

योजना चयनित आधार निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सहकारी बैंकों के माध्यम से भी इच्छुक बैंक के पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्रों के सत्यापन और उनके ऋण संविभाग की प्रमात्रा की पुष्टि के बाद , कार्यान्वित की जाएगी। मार्जिन राशि (सब्सिडी) वाला हिस्सा खाग्रा आयोग द्वारा वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर बैंकों को अदा की जाएगी।

28 प्रमंरोसूका की निगरानी और मूल्यांकन

28.1 सूलमउ मंत्रालय की भूमिका

योजना के कार्यान्वयन के लिए सूलमउ नियंत्रक और निगरानी अभिकरण होगा। वह लक्ष्य आबंटित करेगा, और खाग्रा आयोग का अपेक्षित निधि की मंजूरी देगा और उसे जारी करेगा। मंत्रालय में प्रमंरोसूका के कार्य निष्पादन के बारे में तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्यों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रधान सचिव/ आयुक्त (उद्योग) , राज्य खाग्रा बोर्डों के प्रतिनिधि और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेंगे ।

28.2 खाग्रा आयोग की भूमिका

(i) खाग्रा आयोग राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए एकमात्र नोडल अभिकरण होगा , खाग्रा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रति माह राज्य खाग्रा बोर्डों , जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के साथ कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेंगे और मंत्रालय को मासिक कार्यानिष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन में लाभार्थियों का घटक -वार विवरण दिया जाएगा जिसमें मार्जिन सब्सिडी, सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं का ब्योरा होगा। खाग्रा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, महिला आदि के लिए अनुमोदित उप-घटक योजना के अनुसार मार्जिन राशि (सब्सिडी) का उपयोग किया जाए। लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी अंचल , राज्य और जिला स्तरों पर भी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी , खाग्रा आयोग के निदेशकों और संबंधित राज्यों के आयुक्त/सचिव (उद्योग) द्वारा की जाएगी , विद्यमान ग्रारोसूका इकाइयों की निगरानी खाग्रा आयोग द्वारा ही की जाएगी , जैसा कि

अब तक होता रहा है , और अलग मासिक प्रतिवेदन सीधे सूलमउ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) कयर बोर्ड अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से पीएमईजीपी के तहत स्थापित कयर इकाइयों की निगरानी करेगा । बोर्ड नियमित रूप से ऐसी इकाइयों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और मासिक रिपोर्ट केवीआईसी को भेजेगा।

28.3 राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों की भूमिका

राज्य के मुख्य सचिव योजना की छमाही समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में खाग्रा आयोग के प्रतिनिधि , सूलमउ मंत्रालय के प्रतिनिधि , राज्य निदेशालय(खाग्रा आयोग), खाग्रा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी , राज्य के सचिव/ आयुक्त(उद्योग) अपने मासिक प्रतिवेदन खाग्रा आयोग को पोषित करेंगी , जिसमें लाभार्थियों का घटक-वार विवरण होगा। इस विवरण में आबंटित मार्जिन राशि(सब्सिडी) , सृजित रोजगार और स्थापित परियोजनाओं का विवरण होगा। खाग्रा आयोग प्रतिवेदन का विश्लेषण , संकलन और समेकन करेगा और एक समग्र रिपोर्ट प्रतिमाह मंत्रालय को प्रेषित करेगा। प्रमंरोयो की विद्यमान इकाइयों की निगरानी राज्य जिला उद्योग केंद्रों द्वारा अब तक की ही तरह किया जाता रहेगा , जिसके संबंध में प्रतिवेदन सीधे सूलमउ मंत्रालय को भेजा जाएगा ।

29. योजना का मूल्यांकन

(क) कार्यान्वयन के दो वर्षों के बाद योजना का एक समग्र, स्वतंत्र और कड़ा मूल्यांकन कराया जाएगा । मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर योजना की समीक्षा की जाएगी।

(ख) समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन: प्रणाली को और मजबूत करने के लिए, एक साथ प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम करने के लिए पीएमईजीपी के समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन (सीएमई) की एक प्रणाली रखी जाएगी। यह दो तरह की एक प्रक्रिया होगी, कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के नोडल अधिकारी जैसे केवीआईसी, केवीआईबी और जिला उद्योग केंद्र हर तीन महीने में इकाइयों का दौरा करेंगे और आवश्यक हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान करते हैं और फीडबैक प्राप्त करते हैं, दूसरी बात यह है कि थर्ड पार्टी एजेंसी लगातार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इकाइयों का मूल्यांकन करेगी और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक फीडबैक प्रदान करेगी।

30. गतिविधियों की नकारात्मक सूची

सूक्ष्म उद्यमों /परियोजनाओं/ इकाइयों की स्थापना के लिए प्रमंरोसृका के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी:

- (क) मांस (वध करके तैयार किया हुआ) से जुड़े उद्योग/रोजगार अर्थात् ,
मांस का प्रसंस्करण , डिब्बाबंदी या माँसाहारी खाद्य पदार्थ परोसना ।
बीडी, पान , सिगार , सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और
बिक्री, कोई ऐसा होटल या ढाबा जहाँ शराब या माँसाहारी भोजन
परोसा जाता हो , कच्चे माल के रूप में तंबाकू का प्रयोग , ताड़ी
निकालना और बेचना।
- (ख) चाय, कॉफी , रबर आदि के बागान सहित फसलों की खेती से जुड़े
उद्योग/ कार्य; रेशमपालन (ककूनपालन): बागवानी , | पीएमईजीपी के
तहत इनके मूल्य संवर्धन को अनुमति दी जाएगी। कृषि , बागवानी,
पुष्पोद्धानिकी इत्यादि के संबंध में फार्म से अलग/ फार्म से जुड़ी
गतिविधियों को भी अनुमति दी जाएगी।
- (ग) पशुपालन से जुड़े कोई उद्योग / व्यवसाय जैसे कि मत्स्यपालन,
शुकरपालन, मुर्गीपालन जैसे पशुपालन कार्य आदि ।
- (घ) 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पोलिथिन की थैलियों का विनिर्माण
और पुनःचक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कंटेनर या कोई ऐसा
उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।
